

0/0 169



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



फाइल सं.- ए-45011/18/2025-एचआरएम-III/194

दिनांक: 07.11.2025

कार्यालय जापन

विषय : दिनांक 20-22 अगस्त, 2025 तक आयोजित परिवीक्षा परीक्षा में अनुपस्थिति/असफल होने पर परिवीक्षाधीन प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी को चेतावनी के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.03.2019 के जापन संख्या 28020/3/2018-स्थापना (सी) में निहित प्रावधानों के अनुसार यह देखा गया है कि कुछ प्र.अधि./ले.अधि. जिन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किया गया था, वे 20-22 अगस्त, 2025 तक आयोजित निर्धारित परिवीक्षा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल/अनुपस्थित रहे हैं।

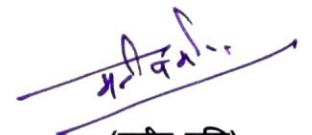
2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, सभी परिवीक्षार्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता उन्हें गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर परिवीक्षा के विस्तार, वेतन वृद्धि को रोकने या सेवा से छुट्टी देने के लिए उत्तरदायी बना सकती है।

3. इसलिए, जो लोग अर्हता प्राप्त करने में विफल/अनुपस्थित थे, उन्हें इस चूक पर गंभीरता से ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आप अगले अवसर पर उक्त परीक्षा में उपस्थित हों और अर्हता प्राप्त करें। पर्याप्त औचित्य के बिना किसी भी आगे की विफलता या अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिकूल प्रशासनिक कार्रवाई को आमंत्रित किया जा सकता है।

4. इसे औपचारिक चेतावनी के रूप में लिया जाए।

(सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन से जारी।)

भवदीय,



(मनीष मणि)

क्षे.भ.नि. आयुक्त-I (मा.सं.प्र.)

प्रतिलिपि :

1. सभी संबंधित अधिकारी